सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

आषाढ़ *14*, *शुक्रवार*, शाके 1946-*जुलाई 05*, 2024

Asadha 14, Friday, Saka 1946- July 05, 2024

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

वन विभाग (क)

विज्ञप्ति

अधिसूचना

जयपुर, जुलाई 02, 2024

संख्या प. 2(38)वन/2024 :- चूंकि इसके साथ संलग्न प्रथम अनुसूची में बतलाई गई वन-भूमि अथवा बंजर भूमि सरकार की सम्पति है या उसमें सरकार स्वामित्वाधिकार रखती है अथवा सरकार उसकी सम्पूर्ण वन उपज या उसके किसी भाग की हकदार हैः-

और चूंकि सरकार पूर्वोक्त वन-भूमि और बंजर भूमि को राजस्थान वन-अधिनियम, 1953 की धारा 29 की उप-धारा (1) के अधीन रक्षित वन घोषित करने का विचार रखती हैः

और चूंकि पूर्वोक्त भूमि में अथवा उस पर सरकार और प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के प्रकार और सीमा का अभी तक किसी प्रकार अभिलेखन नहीं किया गया है:

और चूंकि सरकार यह भी सोचती है कि पूर्वोक्त वन-भूमि अथवा बंजर भूमि में अथवा उस पर सरकार अथवा प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के प्रकार और सीमा के विषय में जांच करवाना और उनका अभिलेखन कराया जाना आवश्यक है, परन्तु इस कार्य में इतना अधिक समय लग जावेगा जिसके बीच में सरकार के अधिकारों को क्षति पहुंचने की आशंका है।

अतः अब राजस्थान वन अधिनियम, 1953 (1953 का अधिनियम संख्या 13) की धारा 26 की उप-धारा (3) के प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में सरकार एतद् द्वारा वन बन्दोबस्त अधिकारी/सहायक वन बन्दोबस्त अधिकारी को पूर्वोक्त वन-भूमि अथवा बंजर भूमि में या उन पर सरकार या प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों की जांच तथा अभिलेखन करने के लिए नियुक्त करती है और ऐसी जांच व अभिलेखन जहां तक व्यवहार्य हो, उपर्युक्त अधिनियम की धारा 6,7,8,10,11 (1) 12,14,17,18,19 में प्रवाहित विधि के अनुसार ही किया जावेगा।

और उपर्युक्त अधिनियम की धारा 29 की उप धारा (3) के परन्तुक (च्तवअपेव) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अग्रेतर अनुसारण में राजस्थान सरकार पूर्वोक्त जांच और अभिलेखन होने तक एतद्द्वारा कथित वन-भूमि और बंजर भूमि को रक्षित वन घोषित करती है, परन्तु इससे व्यक्तियों अथवा वर्गाे के वर्तमान अधिकारों में कमी नहीं होगी और न उन पर कोई प्रभाव पडेगा।

और उसकी धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अग्रेतर अनुसरण में सरकार यह भी घोषित करती है कि इसके साथ संलग्न द्वितीय अनुसूची में दिखाये गये कथित रक्षित वन में स्थित वृक्ष

इस विज्ञप्ति के राज-पत्र में प्रकाषित होने की तारीख से आरक्षित किए जाते है और पूर्वोक्त तारीख में कथित वन में किसी खदान से पत्थर निकालना या चूना या कोयला जलाना या किसी वन उपज का संग्रह किया जाना या किसी निर्माण प्रक्रिया या साधन बनाया जाना और कथित वन में किसी भूमि को कृषि के लिए या मकान बनाने के लिए या पशु-पालन के लिए अथवा किसी अन्य प्रयोजन के लिए तोडा जाना, साफ किया जाना निषिध करती है।

प्रथम अनुसूची (वन भूमि और बंजर भूमि)

द्वितीय अनुसूची (आरक्षित वृक्ष)

राज्यपाल की आज्ञा से,

मोनाली सेन,
विशिष्ठ शासन सचिव, वन।

प्रथम अनुसूची

क्र. सं.	नाम ब्लाक	तहसील	जिला	सीमा	विवरण			
					ग्राम	खसरा नम्बर	रकबा है. में	कुल रकबा है.
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
1	**नयागांव I**	झल्लारा	सलूम्बर	उत्तर- ग्राम मानपुरा दक्षिण- ग्राम झरमाल पूर्व-ग्राम राजपुरा पश्चिम- भूमि बैक आरक्षित	नयागांव	716/625	**41.00**	**41.00**
2	**नयागांव II**	झल्लारा	सलूम्बर	उत्तर-ग्राम मानपुरा दक्षिण-भुमि बैक आरक्षित भूमि पूर्व- भुमि बैक आरक्षित भूमि पश्चिम- भुमि बैक आरक्षित भूमि	नयागांव	713/552	**4.00**	**4.00**
3	**नयागांव III**	झल्लारा	सलूम्बर	उत्तर-भूमि बैक आरक्षित दक्षिण-खातेदारी पूर्व- भूमि बैक आरक्षित पश्चिम-खातेदारी भूमि	नयागांव	718/581 719/581 720/581	**7.21** **9.72** **1.80**	**18.73**
5	**नयागांव IV**	झल्लारा	सलूम्बर	उत्तर-ग्राम मानपुरा दक्षिण-भूमि बैक आरक्षित पूर्व-ग्राम मानपुर पश्चिम-खातेदारी भूमि	नयागांव	721/238	**5.50**	**5.50**
						किता 6		**69.23** है.

(दिलीप सिह चैहान)
क्षेत्रीय वन अधिकारी
सलूम्बर

(मुकेश सैनी I.F.S.)
उप वन संरक्षक
उदयपुर

द्वितीय अनुसूची

वनखण्ड - नयागांव I, II, III, IV में आने वाले पेडो की सुची

क्र.सं.	अन्तराष्ट्रीय (लेटीन) नाम	स्थानीय नाम	कुल
1	Acacia catechu (L.f) willd.	खैर, खेड़ा	Mimosaceae
2	Acacia leucophloea (Roxb.) Willd.	रोंझ, अरूॅझिया	Mimosaceae
3	Acacia senegal (Linn.) Willd.	कुमठा	Mimosaceae
4	Anogeissus acuminata (Roxb.ex DC.) Guill.	धोंक	Combretaceae
5	Azadirachta indica A.Juss	नीम	Meliaceae
6	Bombax ceiba Linn.	सेमल ,सेमला	Bombacaceae
7	Wrightia arborea (Dennst.) Mabb.	खिरना, दूधी, खन्नी	Apocynanceae

(दिलीप सिह चैहान)
क्षेत्रीय वन अधिकारी
सलूम्बर

(मुकेश सैनी I.F.S.)
उप वन संरक्षक
उदयपुर

प्रारंभिक विज्ञप्ति के प्रस्ताव के साथ उप वन संरक्षक द्वारा प्रमाण-पत्र
(जो लागू नहीं होता है उसे काट दे)

वन खण्ड- नयागांव **I, II, III, IV**
रेंज- सलूम्बर
वन मण्डल- उप वन संरक्षक, उदयपुर

1. नयागांव I संलग्न प्रारूप में दर्शाई गई भूमि अ. मैसर्स महावीर ट्रेडिग कम्पनी, ब. 10 लीज कलस्टर पिपली-अ सरु-सी, स. इण्डस्ट्रीयल मिनरल्स एण्ड सप्लायर्स सलुम्बर, द. श्रीमति समरथ देवी w/o वेलसिह के पक्ष मे हेतू तहसील झल्लारा के ग्राम नयागांव आराजी नम्बर 625 रकबा 41.00 हैक्टर वर्गीकरण मगरी व पहाड क्रमशः बिलानाम है, जिसे विज्ञप्ति के कॉलम 6 में विस्तृत रूप से खसरा नम्बरों का विवरण दर्शाया गया है ।
2. नयागांव II संलग्न प्रारूप में दर्शाई गई भूमि माईनिग आफ सोप स्टोन मैसर्स (श्री कांतीलाल शाह एण्ड कम्पनी) हेतू तहसील झल्लारा के ग्राम नयागांव आराजी नम्बर 552 रकबा 4.00 हैक्टर वर्गीकरण मगरी व पहाड क्रमशः बिलानाम है, जिसे विज्ञप्ति के कॉलम 6 में विस्तृत रूप से खसरा नम्बरों का विवरण दर्शाया गया है ।
3. नयागांव III संलग्न प्रारूप में दर्शाई गई भूमि प्रधान मंत्री सडक योजना के अन्तर्गत ग्राम मोरिला-सरवनी, बेडावल-पनवा एंव बेडावल-सडामानपुर के स्थापना हेतू प्रत्यावर्तन के बदले हस्तान्तरित तहसील झल्लारा के ग्राम नयागांव आराजी नम्बर 581 रकबा 9.720 हैक्टर, भीखा भाई सागवाडा नहर परियोजना निर्माण की स्थापना हेतू हस्तान्तरित तहसील झल्लारा के ग्राम नयागांव आराजी नम्बर 581 रकबा 7.210 हैक्टर एवं प्रधान मंत्री सडक योजना के अन्तर्गत ग्ारम दातोड-बेडाधर एंव महाडी-नाल के बदले हस्तान्तरित तहसील झल्लारा के ग्राम नयागांव आराजी नम्बर 581 रकबा 1.80 हैक्टर वर्गीकरण मगरी व पहाड क्रमशः बिलानाम है, जिसे विज्ञप्ति के कॉलम 6 में विस्तृत रूप से खसरा नम्बरों का विवरण दर्शाया गया है ।
4. नयागांव IV संलग्न प्रारूप में दर्शाई गई भूमि घोडाखेडा सिंचाई परियोजना की स्थापना हेतू हस्तान्तरित तहसील झल्लारा के ग्राम नयागांव आराजी नम्बर 238 रकबा 5.50 हैक्टर वर्गीकरण मगरी व पहाड क्रमशः बिलानाम है, जिसे विज्ञप्ति के कॉलम 6 में विस्तृत रूप से खसरा नम्बरों का विवरण दर्शाया गया है ।
5. वर्तमान में भूमि राजस्व लेखों में वन विभाग दर्ज है तथा मौके पर विभाग द्वारा कुछ क्षैत्रों में विकास कार्य कराना है। इनमें कोई अतिक्रमण अथवा खनन् कार्य नहीं हो रहा है। क्षैत्र को आरक्षित वन घोषित करने के लिए जिला कलक्टर से सहमति प्राप्त कर ली गई है, जो प्रस्ताव के साथ संलग्न है।
6. इस क्षैत्र में पौधारोपण/विकास कार्य करवाया गया है तथा कोई खनन कार्य नहीं हुए है। भविष्य में इस क्षैत्र में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण/विकास कार्य कराए जाना प्रस्तावित है।
7. भूमि पर वृक्षों की घनत्व कुछ क्षैत्रों में 0.2 प्रतिशत है। तथा कुछ क्षैत्रों में नगण्य है। इस वनखण्ड में प्रमुख प्रजातियों झाडियों का लगभग 0.2 प्रतिशत क्रमशः है तथा कुछ क्षैत्रों में घनत्व नगण्य है।

8. समीपवर्ती स्थित क्षैत्र वनखण्ड नयागांव **I, II, III, IV** (वन) भूमि है तथा चारों ओर की सीमा का विस्तृत उल्लेख विज्ञप्ति के कॉलम संख्या 5 में कर दिया गया है।
9. वन खण्डों के वाछिंत मानचित्र (नक्शे) संलग्न है एवं विज्ञप्ति में दिखाई गई दिशाओं सीमा स्थिति के अनुरूप है। प्रस्तावित वन क्षैत्रों की सीमा को नक्शें में लाल स्याही से इंगित किया गया है। प्रस्तावित क्षैत्र को जी.टी. शीट पर चिन्हित किया जाकर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया गया है।
10. प्रस्तावित क्षैत्रों की विज्ञप्तियों के प्रारूप यथा विधि पूर्व में नहीं भेजने के कई कारण रहे है किन्तु अब तक उल्लेखित वन क्षैत्रों के कानूनी स्वरूप देने हेतु प्रचलित नियमों के अनुरूप शासकीय गजट में प्रकाशन होना नितान्त आवश्यक है, जिससे कि इन भूमियों पर वन विभाग का साक्ष्यसिद्व हो सकें।
11. उक्त वन भूमि का पूर्व में राजपत्र में प्रकाशन नहीं हुआ है।

(दिलीप सिह चैहान)
क्षेत्रीय वन अधिकारी
सलूम्बर

(मुकेश सैनी I.F.S.)
उप वन संरक्षक
उदयपुर

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।